कार्यालय–निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/बी/असंपूमैछा/2020–21/ दिनांक : 22/12/2020

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक–मुख्यालय),
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा अभियान

विषय :– वर्ष 2020–21 में अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृति हेतु नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (N.S.P.) पर नवीनीकरण आवेदनों में अंक प्रतिशत निर्धारण की पात्रता के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली का पत्र F.NO..-15/19/2020–SS (PART-2) Dated 14 October 2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के कम मे लेख है कि भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृति हेतु National Scholarship portal (NSP) पर वर्ष 2020–21 में नूतन/नवीनीकरण (Fresh/Renewal) आवेदकों के लिये गत प्राप्तांक प्रतिशत के सम्बन्ध में निम्नानुसार पात्रता निर्धारित की गई है:–

"The existing criteria of 50% marks to apply under Pre matric and Post matric Scholarship Schemes stands relaxed and all applicants who have scored 50% or above marks or considred 'Pass' shall be considered eligible to apply for 'Fresh' or 'Renewal' Scholarship on NSP Portal during 2020-21 ."

अतः अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृति हेतु National Scholarship portal (NSP) पर वर्ष 2020–21 में नूतन/नवीनीकरण (Fresh/Renewal) आवेदनों में अंक प्रतिशत निर्धारण की पात्रता के संबध मे यह छूट प्रदान कि गई है कि गत परीक्षा मे जिन विद्यार्थियों ने 50 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक प्राप्त किये है या जिन विद्यार्थियों को Pass किया गया है वे भी नूतन/नवीनीकरण (Fresh/Renewal) आवेदन कर सकते है अतः उक्त पात्रतानुसार पूर्व मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 01 से 10 तक नूतन/नवीनीकरण (Fresh/Renewal)) एनएसपी पोर्टल पर अधिकाधिक संख्या में भरवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि पात्र विद्यार्थी लाभान्वित हो सके।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

22.12.2020

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/बी/असंपूमैछा/2020–21/ दिनांक :– ~~/2020~~ 22/12/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

1. संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र के कम में सूचनार्थ।
2. निदेशक, निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संभागीय सयुंक्त निदेशक ,स्कूल शिक्षा विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके मण्डल के अधीनस्थ जिलों संस्थाओं के द्वारा अधिकाधिक संख्या में नवीनकरण आवेदन भरवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान को प्रेषित कर लेख है कि आप अपने कार्यालय स्तर से भी प्रभावी प्रबोधन व निरीक्षण करते हुए पालना सुनिश्चित करावें।
5. **समस्त सरकारी/गैरसरकारी संस्थाप्रधान को अनिवार्यतः पालनार्थ ।**
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्पयूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने बाबत।

22.12.2020

प्रभारी अधिकारी (छात्रवृति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Group-B\Minority\Letter Minority1.docx